

पत्र सं०-सी०/ए०-20-22/2011-5544/जे०

फैक्स

बिहार सरकार
विधि विभाग

प्रेषक,

अखिलेश कुमार जैन,
सरकार के सचिव, बिहार।

सेवा में,

जिला दण्डाधिकारी,
शेखपुरा ।

पटना, दिनांक 29/8/15

विषय:- शेखपुरा जिला के लिए अपर लोक अभियोजकों की नियुक्ति के संबंध में।


महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-284 दिनांक-21.06.2013 के प्रसंग में निदेशानुसार संसूचित करना है कि राज्य सरकार ने निम्नलिखित अधिवक्ताओं को शेखपुरा जिला के लिए अपर लोक अभियोजक नियुक्ति करते हुए नया पैनल गठित करने की कृपा की है:-

क्रम सं०	अधिवक्ताओं का नाम	पंजीयन संख्या
1.	श्री शम्भु शरण सिंह	2298/95
2.	श्री राम चरित्र प्रसाद	3087/95
3.	श्रीमती शान्ति कुमारी	1469/96
4.	श्री शिवनन्दन प्रसाद शर्मा	115/87
5.	श्री तसनीम उद्दीन	1456/93
6.	श्री जगदीश चौधरी	1204/94
7.	श्री मुन्नी प्रसाद	1148/88
8.	श्री शैलेन्द्र कुमार	37/2000


- उक्त पैनल की कालावधि तीन वर्षों की होगी। अतएव अनुरोध है कि तीन वर्षों की अवधि पूरा होने के चार माह पूर्व ही नये पैनल का पूर्णगठन करा लिया जाय।
- इस आदेश के निर्गत होने के पश्चात् पुराना पैनल स्वतः समाप्त समझा जायेगा। उक्त पैनल अधिवक्ता को सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित शुल्क ही देय होगा। तथा एक दिवसीय कार्य करने के लिए एक ही दैनिक शुल्क देय होगा।
- इस शर्त के साथ नियुक्ति की अनुशंसा की गई कि सहायक अभियोजन पदाधिकारी का अपर लोक अभियोजक में सामान्य प्रोन्नति होने की तिथि से नीचे से क्रमशः क्रमांक-08 एवं 07 पर नियुक्त अपर लोक अभियोजक की नियुक्ति स्वतः समाप्त हो जायेगी।

विश्वासभाजन


(अखिलेश कुमार जैन)
सरकार के सचिव, बिहार।


ज्ञापांक:-5544/जे०, पटना, दिनांक:-29/8/15

प्रतिलिपि:-जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शेखपुरा/लोक अभियोजक, व्यवहार न्यायालय, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।


(अखिलेश कुमार जैन)
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक:-5544/जे०, पटना, दिनांक:-29/8/15

प्रतिलिपि:-माननीय विधि मंत्री के आप्त सचिव/आई०टी० मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


(अखिलेश कुमार जैन)
सरकार के सचिव, बिहार।